

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाडा

बनाम ST 510 शायद

धारा 33 वाद/प्र0प0/अमील

प्र0सं0 141/15

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई विधि द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार

जरिदे तलवाना विपक्षीगणों की तलबी की जायें। पत्रावली दिनांक 22/4/15

को पेश हो।

(Signature)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भीलवाडा

22/4/15

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षगण

पीठासीन अधिकारी जी

पत्रावली साबिक

आदेश में दिनांक 20/5/15 को

पेश हो।

आदेश से रीडर

20/5/15 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षगण

पीठासीन अधिकारी जी

पत्रावली साबिक

आदेश में दिनांक 25/8/15 को

पेश हो।

आदेश से रीडर

25/8/15

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त

अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश

दिनांक 6/10/15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

6/10/15

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष

पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त


अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश

दिनांक 8/12/15 को पेश हो।

आदेश से रीडर

25/7/25


पत्रावली में वादीगण की आधिकारिकता की ओर से
उपरोक्त नोटिस की प्रति भेजा नहीं की। वादी अधि.
की धारणा अस्वीकार की जाती है। वादी आधिकारिकता
उपरोक्त वादीगण द्वारा उपरोक्त धारणा पर आधारित 1 दिनांक
10 वा. नीबाली का अवकाश देना नहीं किया। पत्रावली
वास्तव में धारणा पर के अवकाश वरतन हेतु दिनांक
18/8/25 को भेजा है।


25/7/25
सहायक कलक्टर
शीलकाड़ा

18/8/25

पत्रावली भेजा है। वादीगण एवं वादी आधिकारिकता
अनुपस्थित। उपरोक्त आधिकारिकता उपरोक्त वादीगण
एवं वादी आधिकारिकता की निम्नानुसार तीन बार प्रार्थना
लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50
PM हो चुका है। वादीगण एवं वादी आधिकारिकता
की उपस्थिति में पुनः एक बार प्रार्थना लगाई गई,
कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण एवं वादी आधिकारिकता
के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा उपरोक्त
वाद प्रदम (संपत्की) प्रदम पत्रों में प्रारिप्त किया
जाता है। निम्नलिखित सबे इपत्ताय सुनाया गया।

पत्रावली कलसल कुमार लोक कार्यालय
द्वारा ही तथा अठार से कम है।


18/8/25
सहायक कलक्टर
शीलकाड़ा